



उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर - आर0एफ0आर0सी0, मण्डला रोड, जबलपुर
TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council of Forestry Research & Education)
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India
P.O. - R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur - 482 021




Ph No. 0761-2840483 (Off.)
Fax No. 2840484 4044002

क्रमांक 1-1-65/स्था0/उ0व0अ0सं0/776

दिनांक 14/07/2017

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 1-1-65/स्था0/उ0व0अ0सं0/1451 दिनांक 20/10/2016 के तारतम्य में डॉ0 राजीव राय, वैज्ञानिक-एफ एवं प्रभागाध्यक्ष, कृषि वानिकी प्रभाग, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा अधिवाषिता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31-07-2017 (अपरान्ह) को सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें शाराकीय कार्यों से दिनांक 31-07-2017 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है।


(डॉ0 यू0 प्रकाशम)
निदेशक
14/7/17

प्रतिलिपि :-

1. डॉ0 राजीव राय, वैज्ञानिक-एफ एवं प्रभागाध्यक्ष, कृषि वानिकी प्रभाग, उ0व0अ0सं0, जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। सेवानिवृत्ति के पूर्व आप संस्थान का न देय प्रमाण पत्र यथासमय इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। आप डॉ0 ननिता बेरी, वैज्ञानिक-ई को प्रभागाध्यक्ष, कृषि वानिकी प्रभाग का कार्यभार सौंपकर कार्यभार छोड़ने संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. डॉ0 ननिता बेरी, वैज्ञानिक-ई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, उ0व0अ0सं0, जबलपुर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उन्हें सेवा निवृत्ति उपदान, छुट्टी के बदले नगद भुगतान एवं अन्य पेंशन लाभाश राशियों का भुगतान नियमानुसार करने की उचित कार्यवाही करें।
4. सचिव, भा0वा0अ0शि0प0, डाकघर-न्यू फारेस्ट, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अवर सचिव, पेंशन प्रकोष्ठ, भा0वा0अ0शि0प0, डाकघर-न्यू फारेस्ट, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समूह समन्वयक (अनुसंधान) उ0व0अ0सं0, जबलपुर।
7. सतर्कता अधिकारी, उ0व0अ0सं0, जबलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
8. निदेशक के वैयक्तिक सहायक।
9. प्रभारी, संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग, उ0व0अ0सं0, जबलपुर को सूचनार्थ एवं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. भण्डार एवं क्रय अनुभाग / संबंधित सेवा पुस्तिका / गार्ड फाइल।